## राजस्थान-सरकार राजस्व(ग्रुप-1) विभाग

क्रमांकःप.९(१०७)राज. / ग्रुप-् 1 / 2012

:-- अधिसूचना:--

राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम,1956 (1956 का अधिनियम,15) की धारा 16, के प्रावधानों के अनुसरण में राज्य सरकार एतद द्वारा निर्देश देती है कि जिला टोंक की तहसील मालपुरा के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या-6 में अंकित मंजरों / ढाणियों को एतद्पश्चात राजस्व गाँव के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व गांव की कुल देह में से कम होकर कालम संख्या-8 के अनुसार होगा:-

क्र0सं	जिला / तहसील	मूर्लं ऱ्रीजस्व ग्राम का नाम	मूल राजस्व ग्राम की जनसंख्या/ क्षेत्रफल (हैक्टर में)		े प्रस्तावित राजस्व ग्राम का नाम	प्रस्तावित राजस्व ग्राम की जनसंख्या / क्षेत्रफल (हैक्टर में)		दूरी कि0 मी0 में	मूल राजस्व ग्राम का शेष रहा क्षेत्रफल (हैक्टर में)
		9	जन संख्या	क्षेत्रफल		जन संख्या	क्षेत्रफल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	टोंक / मालपुरा	डिग्गी ✓	9762	4780.00	्रव्रतापपुरा देशवालियान अवानीपुरा	755 812	790.00	5.0	3098.00
		टोरडी 🗸	6423	3383.00	ब्रालापुरा	758	256.00√	2.0	3127.00
		कांटोली	3220	3245.00	नयागांव गूजरान उर्फ फतेहपुरा	275	439.00	2.5	2806.00
		पचेवर 🗸	5955	3527.98	अजीत पुरा	360	325.80 🗸	5.0	3202.18

नवीन राजस्व ग्रामों के गठन से प्रभावित उपरोक्त मूल एवं नवीन राजस्व ग्रामों के अभिलेखों के अलग-अलग संधारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत अभिलेखों के परिशोधन के कार्य के लियें जिला कलेक्टर, टोंक को अधिकृत किया जाकर जिला कलक्टर विभागीय परिपत्र क्रमांक प.9(16)राज-1/07 दिनांक 20.08.09 के अनुसार कार्यवाही निष्पादित कर राज्य सरकार को सूचित करने हेतु निर्देशित किया

आज्ञा से,

(स्नेहलता पंवार) शासन उप सचिव